1. भूमिका

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड (आर.एस.डब्ल्यू.एम.एल.), जो भारत में निगमित एक प्राइवेट लिमिटिड कंपनी है जिसका भारत में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली तहसील में 2x96 मे.वा. (ब्यास नदी के ऐलाइन और दुहंगन उपनदियों पर 192 मे.वा. जल-विद्युत उत्पादन सुविधा) वाली ऐलाइन-दुहंगन पनबिजली परियोजना (ए.डी.एच.पी.) लगाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना मनाली शहर से लगभग 3 कि.मी. दक्षिण पूर्ण में प्रीनि गांव में स्थित है।

हिमाचल प्रदेश में पांच बारहमासी नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव और यमुना बहती हैं एवं इन नदियों की उपयोगिता, इस राज्य के ऊबड़-खाबड़ और लहरदार भू-भाग के कारण काफी हद तक बाधित होने के बावजूद जल-विद्युत उत्पादन के लिए ये नदियां अत्यधिक सहायक हैं।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी की उपनदियों ऐलाइन और दुहंगन के संयुक्त प्रवाह को इस्तेमाल करने के उद्देश्य से नदी के बहाव की स्कीम के रूप में जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के वर्ष 2008 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। प्रस्तावित परियोजना में एक भूमिगत पावर प्लांट होगा जो ऐलाइन और दुहंगन नदियों के आवाह घाटी क्षेत्र से सुरंग के माध्यम से एक लघु जलाशय (19.5 हैक्टेयर मीटर) को पिघली बर्फ और मानसूनी बारिश के पानी की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना को हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में लगाया जाएगा जिसमें दो नदियों पर अपवर्तन बांध होंगे एवं 0.195 मिलियन एम^3 (लगभग 14.5 मी. ग 261 मी. माप के अपेक्षित बांध) क्षमता की एक सर्जशाफ्ट भण्डारण टंकी होगी। यह सभी सुविधाएं 2700 मी. की ऊंचाई पर स्थित होंगी जिनके लिए 1.6 कि.मी. स्टील लाइन वाले एक प्रेशर शाफ्ट, एक 833 मी. - हैड 2 यूनिट पेल्टन टर्बाइन पावर हाउस, जिसे पहाड़ी कंदरा में लगाया जाएगा, के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना में दुहंगन के प्रवाह के एक भाग को ऐलाइन की ओर मोड़ दिया जाएगा और दोनों नदियों के प्रवाह से प्रत्येक 96 मे.वा. क्षमता की दो यूनिटों वाले पावरहाउस को जलापूर्ति की जाएगी। 220 के.वी. पावर संचारण की एक लाइन (लगभग 185 कि.मी.) पावर को, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ स्थित उत्तरी ग्रिड में ले जाएगी।

परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) भारत सरकार (जी ओ आई) के साथ-साथ राज्य पर्यावरणीय एवं वन प्राधिकारियों से पर्यावरणीय एवं वन अनुमोदनों सहित विभिन्न अनुमोदन आंतरिक ग्रुप के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण योजना के आधार पर प्राप्त हो चुके हैं।

आर.एस.डब्ल्यू.एम. इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) से आंशिक वित्तपोषण लेने के प्रयास कर रहा है। आई.एफ.सी. के परियोजना संबंधी पर्यावरण एवं सामाजिक पुनरीक्षण की अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना के वित्तपोषण हेतु आई. एफ.सी. के अनुमोदन से पूर्व पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन पर एक अधिक विस्तृत सूचना अपेक्षित है जिसमें प्रस्तावित संचारण लाइन गलियारे के लिए विशेष अध्ययन और सर्वेक्षण भी उपलब्ध हो।

तदनुसार, ओ.पी. 4.01 के अपेक्षाओं के अनुरूप आई.एफ.सी. की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक विस्तृत पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन, जिसमें विशिष्ट अध्ययन भी शामिल है, का कार्य करने हेतु आर.एस.डब्ल्यू.एम.एल. ने ई.आर.एम. इंडिया प्राइवेट लि., नई दिल्ली की सेवाएं ली हैं।

1.2 भूमि की आवश्यकता

इस परियोजना के लिए कुल्लू जिले के मनाली तहसील में चार गांवों में भूमि की आवश्यकता होगी। ये गांव निम्नलिखित हैं :

- प्रीनि
- जगत सुख
- एलेऊ (ग्राम पंचायत-वशिष्ठ)
- हामटा (चूंकि गांव से जाने वाली प्रस्तावित सड़क के संरेखण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इसे इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। अतः अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की सीमा अभी ज्ञात नहीं है)।

यह भूमि परियोजना के स्टाफ के लिए कालोनी बनाने तथा परियोजना क्षेत्र के आस-पास सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित होगी। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न गांवों में अपेक्षित भूमि का सार दिया गया है :

तालिका 1.1 परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि

गांव	अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्रामवार(है०)	खसरा संख्या	प्रयोजन
प्रीनि	6.83	117	कॉलोनी और सड़क
जगत सुख	3.94	75	कॉलोनी और सड़क

एलेऊ	0.99	20	सड़क
कुल	**11.76**	**212**	

टिप्पणी : यह वर्तमान पर आधारित है तथा इसमें भूमि अधिग्रहण के अंतिम आंकड़े नहीं दर्शाए गए हैं।

भूमि के यह आंकड़े परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभावित तीन गांवों के लिए उपलब्ध करवाए गए भूमि रिकार्डों पर आधारित हैं। हालांकि कालोनी के लिए अपेक्षित भूमि और स्थान के संदर्भ में लगभग निर्णय ले लिया गया है, सड़क संरेखण के संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। अतः सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि का माप अभी ज्ञात नहीं है।

तथापि, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल भूमि का आंकलन तैयार कर लिया गया है जो निम्नलिखित है :

- निजी भूमि : 36.565 हैक्टे.
- सरकारी भूमि : 8.54 हैक्टे
- वन भूमि : 32.167 हैक्टे.
- कुल भूमि अपेक्षित – 77272 हैक्टे.

1.3 परियोजना के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव

हालांकि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को ई.आई.एस. रिपोर्ट में कवर कर लिया गया है, इसके सामाजिक प्रभावों को इस खंड में संक्षेप में कवर किया गया है।

परियोजना के मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभावों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- निजी संपत्ति की हानि
- वनस्पति सहित परिसंपत्तियों की हानि
- उपर्युक्त दानों हानियों से प्रत्यक्षतः संबद्ध आजीविका और आय की हानि
- अन्य अप्रत्यक्ष हानियां

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि परियोजना से वासभूमि अथवा आवासीय ढ़ांचे प्रभावित नहीं होंगे, अतः किसी प्रकार की भौतिक पुनर्वास की जरूरत नहीं होगी।

भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी PAF तो भूमिहीन होगा और न ही उसके पास अधिग्रहण के पश्चात .08 हैक्ट. से कम भूमि होगी। तथापि यह देखा गया है कि कुछ मामलों में मालिकाना, भूमि रिकार्ड में यथाप्रदर्शित, अधिकार भूमि के वास्तविक अथवा असली उपयोग और स्वामित्व को नहीं दर्शाते हैं। नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसा अनुमान है कि 140 परिवारों में से 90 परिवारों को अपनी कुल भूमि के 25 प्रतिशत की हानि होगी, जबकि लगभग 5 परिवारों को अपनी कुल भूमि के 75 और 100 प्रतिशत के बीच हानि होगी। PAF की बाद वाली श्रेणी ''अत्यधिक संवेदनशील'' श्रेणी के अंतर्गत आती है।

पारिवारिक आय के संदर्भ में, नमूना सर्वेक्षण के अनुसार परियोजना के कारण 82 परिवारों को अपनी आय की 25 प्रतिशत से कम की हानि होगी जबकि 9 परिवारों को अपनी कुल पारिवारिक आय के 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच हानि होगी।

चूंकि मुख्यतः वनस्पति भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है इसलिए इस परियोजना से मुख्य रूप से सेब के पेड़ प्रभावित होंगे। लगभग 19 परिवारों को 100 से अधिक सेब के वृक्षों का घाटा होगा जबकि PAF के अधिकांश लोगों को 50 से कम वृक्षों का घाटा होगा। हालांकि इस क्षेत्र में खेती की जाती है, जो मात्र आय के लिए न होकर अधिकांशतः भरण-पोषण के लिए की जाती है।

इस परियोजना के अन्तर्गत पूरे प्रयास किए गए हैं कि उससे सामान्य संपत्ति, जैसे पूजा स्थल, चारागाह आदि, प्रभावित न हों। प्रत्येक गांव में स्थानीय राजस्व विभाग ने लिखित में पुष्टि की है कि अलेऊ, प्रीनि और जगत सुख, तीनों गांवों में ऐसी कोई संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है।

1.4 पी.ए.एफ की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

इस खंड में धर्म, शिक्षा स्तर, व्यावसायिक रूपरेखा और आय स्तर के संदर्भ में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह रूपरेखा परियोजना से प्रभावित तीनों गांवों के '62 परिवार' नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है।

प्रभावित अधिकांश परिवार हिंदू हैं और उनमें से कुछ विशेषकर अनुसूचित जनजाति में बौद्ध हैं। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए भूमि रिकॉर्डो के अनुसार प्रभावित परिवारों में कोई भी मुस्लिम, ईसाई अथवा सिख नहीं है। हालांकि अधिकांश लोगों ने बताया है कि न्यूक्लियर परिवार की संकल्पना अधिक प्रसिद्ध हो रही है, फिर भी नमूना सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि संयुक्त परिवार अभी भी अधिसंख्य हैं। नौजवान पीढ़ी साक्षर है, जबकि अधिकांश बुजुर्ग या तो अनपढ़ हैं अथवा उन्होंने 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानान्तरण एक आम प्रक्रिया है चूंकि सर्दी के मौसम में जब बर्फ गिरती है तो लोग

सामान्यतया निचले क्षेत्रों में चले जाते है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतया दो घरों में रहते हैं और कुछ मामलों में उनके पास दो गांवों में भूमि होती है।

1.4.1 *अतिसंवेदनशीलता*

प्रभावित परिवारों में से 8 प्रतिशत गरीबी के नीचे की रेखा में आते थे (20,000 रूपये प्रतिवर्ष') जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 18 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलांए थी। इतने ही प्रतिशत परिवारों में कम से कम 1 व्यक्ति या तो विक्लांग था अथवा दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति था। 55 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी।

1.4.2 व्यावसायिक रूपरेखा

परियोजना से प्रभावित परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव के अधिकांश व्यक्ति (और PAF के) अपनी आजीविका के लिए कृषि और बगीचों पर निर्भर करते हैं। तथापि, PAF में से कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम भूमि है, श्रम, डेरी अथवा छोटे-मोटे व्यवसाय जैसे गौण कार्य भी करते हैं।

1.4.3 भूमिधारी

परियोजना से प्रभावित परिवारों की औसत भूमिधारिता कुल्लू जिले की औसत भूमिधारिता (9.64 बीघा) से किंचित कम (8.87 बीघा) है। जिन PAF का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 35 प्रतिशत से अधिक के पास 5 बीघा से कम भूमि थी। उन्नतिशील पर्यटन क्षेत्र होने के कारण मनाली क्षेत्र में भूमि के मूल्यों में वृद्धि हुई हैं।

1.4.4 पारिवारिक आय

अधिकांश प्रभावित व्यक्ति अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए कृषि पर निर्भर हैं जबकि PAF में से अधिकांश की आय का स्रोत बागवानी था। कृषि, बागवानी, व्यापार, सेवा, श्रम आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़कर परिवारों के आय स्तर की पहचान की गई है। नमूना सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 8.1 प्रतिशत परिवारों की आय 2000 रूपये प्रति माह है, जबकि 22.6 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनकी औसत मासिक आय 15000 रूपये से अधिक है।

2 विनियमन एवं आवश्यकताएं

जल-विद्युत पावर परियोजना के लिए अनुमित पर्यावरण निर्देशकों को EIA रिपोर्ट में विस्तार से कवर किया गया है।

2.1 *जलविद्युत परियोजनाओं के लिए लागू पुर्नवास एंव पुनःस्थापन मार्गदर्शी सिद्धांत*

2.1.1 *पुर्नवास एंव पुनःस्थापन के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत*

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों पर कार्यवाही के लिए अभी तक कोई अनुमोदित निर्देशक नहीं है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया है और उस पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की जा रही है। अभी तक संसद द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है और इसलिए इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।

2.1.2 *भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894*

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 अत्यधिक संगत राष्ट्रीय अधिनियम है जिसका परियोजना पर प्रभाव रहता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित ब्यौरे और प्रक्रियाएं दी गई हैंः

- अधिसूचना, क्षतिपूर्ति, आपत्तियों की सुनवाई, प्रस्तावित अधिग्रहण की घोषणा, मापन, मूल्य और दावों की जांच तथा समाहर्ता द्वारा निर्णय एवं अंततः भूमि का अधिपत्य जैसी गतिविधियां भूमि अधिग्रहण के तहत आती हैं।
- अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर आपत्तियां दर्ज की जानी चाहिए एवं सभी आपत्तियों की सुनवाई का प्रावधान।
- यदि निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो न्यायालय को मामला भेजना और न्यायालय में सुनवाई।
- मुआवजे का आबंटन तथा उससे संबंधित विवादों का निपटान।

- भूमि के मूल्य, वृक्षों एवं ढांचों के मुआवजे का भुगतान जिसमें 30 प्रतिशत मुआवजा सम्मिलित है तथा देर से किए जाने वाले भुगतान पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।
- भूमि का अस्थायी अधिकार।
- कंपनियों का अधिग्रहण।

2.1.3 *हिमाचल प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाओं के मामले में R & R के लिए लागू निर्देशः-*

R & R पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति के अभाव में RSWM देश में सामने आई सर्वोतम पद्धतियों को समाविष्ट करते हुए एवं आधारभूत वास्तविकता एवं सांस्कृतिक संदर्भ से निकट संबंध को दर्शाते हुए IFC के निर्देशकों का पालन करेगा।

हिमाचल प्रदेश में कोल बांध परियोजना मे विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए NTPC की स्कीम इसका एक उदाहरण है। इस योजना को हि.प्र. सरकार ने स्वीकार किया था और इसलिए यह अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यो के लिए यह एक बैंचमार्क साबित हुआ। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छज्च्ब की योजना मुख्यतः विश्व बैंक के परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान एवं उनके पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के स्वयं के निर्देशों के अनुसार है। इस पर ADHP के लिए भी संदर्भ विंदु के रूप में विचार किया जा सकता है।

बेदखली के कारण बेघर हुए परिवार को क्षतिपूर्ति करना एवं हाउसिंग प्लाट विकसित करना इस स्कीम के कुछ विशिष्ट प्रावधान है। पुनर्वास कालोनी में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल तथा डिस्पेंसरियों जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। बेघर हुए परिवारों अथवा ऐसे परिवार जिनके पास पांच बीघे से कम भूमि रह गई हो, के लिए पुनर्वास अनुदान का प्रावधान है। ये सभी अनुदान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त दी जाएंगी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अत्यधिक प्रभावित परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को उपयुक्तता और उपलब्धता की शर्त पर अकुशल ओर कुशल कारीगरों की श्रेणी में नौकरी देने का प्रावधान भी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो परियोजना प्राधिकारी लाभप्रद व्यवसाय आरंभ करने में उनकी मदद करेंगे।

2.1.4 *स्वदेशियों के लिए लागू निर्देश*

जहां तक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास का संबंध है स्वदेशियों के लिए भी अलग से किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति अथवा निर्देशक नहीं हैं। भारतीय संविधान (भाग X), तथापि, अनुसूचित क्षेत्रों के

सृजन की प्रक्रिया की रूपरेखा बतलाता है। ये क्षेत्र जनजाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित होते हैं। जिन्हें भारत में अनुसूचित जनजाति '(अ.ज.जा.) कहा जाता है। संविधान की पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244 (1)) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधानों के ब्योरे दिए गए हैं जबकि छठी अनुसूची मे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे चुनिंदा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान के भाग XVI में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों में से एक सेवाओं में पदों का आरक्षण है।

नवीनतम संशोधन पंचायत अधिनियम 1996 [(अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) के प्रावधानों के खंड 4, धारा (1), में 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संयोजन के लिए एक पृथक प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख किया गया है। भूमि के लिए इच्छुक एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि वे संबंधित ग्राम सभा अथवा ग्राम परिषद से अलग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें अधिग्रहण प्रस्ताव को लिखित में मंजूरी दी गई हो। इसमें विवाद निपटान प्रक्रियाएं भी दी गई हैं तथा साथ ही राज्य सरकारों द्वारा R & R के अनिवार्य प्रबोधन का उल्लेख भी किया गया है।

R & R पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति के अभाव में परियोजना प्रस्तावक देश में सामने आई सर्वोतम पद्धतियों को समाविष्ट करते हुए एवं आधारभूत वास्तविकता एवं सांस्कृतिक संदर्भ से निकट संबंध को दर्शाते हुए IFC के निर्देशकों का पालन करेगा।

2.2 *संबंधित राज्य अधिनियम*

2.2.1 हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण अधिनियम, 1968 (संशोधन अधिनियम, 2002)

इस अधिनियम का अभिप्राय जनजाति की तुलना में भूमि का हस्तांतरण रोकना और भूमि हस्तांतरण के मुद्दों एवं प्रतिमानों से है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति बिक्री, बंधक रखने, पट्टे पर देने, उपहार या अन्य किसी तरह से भूमि का हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता जो इस जनजाति से संबंधित न हो। इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें भूमि हस्तांतरण के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति ले ली गई हो। उक्त अधिनियम के खंड 8 में यह प्रावधान है कि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा किसी भूमि के संदर्भ में प्राप्त अधिकारों, शीर्षकों अथवा हितों को कुर्की अथवा किसी डिक्री के निष्पादन या आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता जो किसी भी कोर्ट की अनुसूचित जनजाति से संबद्ध न हो। इसमें

ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें एसी डिक्री के तहत कोई राशि राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी समिति को देय हो। इस अधिनियम में यह संशोधन भी किया गया है कि किसी कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी डिक्री को रद्द करने के संबंध में इस अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग की जा सकती है तथा हस्तांतरित भूमि की पुनः प्रतिष्ठा के लिए परिसीमन की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है।

यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और भूमि सुधार (हस्तांतरण के मामले) के संबंध में उनके अधिकारों से संबंधित है। 1968 के इस अधिनियम में विधान सभा द्वारा 2002 में संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को कुछ और लाभ दिए गए थे तथा मुख्य अधिनियम में कुछ अतिरिक्त विशेषताओं को जोड़ा गया था। इस अधिनियम में 2002 में संशोधन करके कुछ अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गई थी। इनमें से एक विशेषता यह है कि जनजाति की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अनुसमर्थन द्वारा, राज्य सरकार से प्राप्त की जा सकती है।

2.2.2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम, 1994

इस अधिनियम का उद्देश्य *पंचायतों से संबंधित कानून के समेकन, संशोधन और उसके प्रतिस्थापन का है ताकि स्थानीय प्रशासन एवं विकास गतिविधियों में पंचायती राज्य संस्थानों की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।*

इस अधिनियम में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों के गठन, संरचना, विशिष्ट कार्य, और शक्तियां, विभिन्न उप समितिया।, चुनाव प्रक्रिया, न्यायिक कार्य, वित्त, कराधान और लेखों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। इस अधिनियम में इन संस्थानों के भीतर विवाद निपटान तंत्र का विशेष उल्लेख भी किया गया है।

2.3 आई.एफ.सी के संबधित मार्गदर्शी सिद्धांत एवं नीतियां

2.3.1 आई.एफ.सी की पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा नीतियां

ओ0पी0 4.01 पर्यावरणीय आंकलन

पर्यावरण आकलन (ई.ए) पर आई.एफ.सी की नीति में उल्लिखित है कि आई.एफ.सी की सभी परियोजनाओं के लिए ई.ए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि वे पर्यावरण एवं सामाजिक दृष्टि से समर्थ एवं पुष्ट हैं। ई.ए के लिए विभिन्न पद्धतियां इस्तेमाल की जाती हैं जो परियोजना की पेचीदगी पर निर्भर करती हैं। इनमें पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए) पर्यावरणीय ,लेखा परीक्षा, जोखिम एवं खतरों के आंकलन तथा पर्यावरण कार्ययोजना ई.आई.ए

शामिल है। इस नीति के तहत अपेक्षित है कि सभी परियोजनाओं को 'ए' 'बी' 'सी' तथा 'एफ '1' समूहों में वर्गीकृत किया जाए।

वर्तमान परियोजना समूह 'ए' वर्ग की परियोजना है

ओ०पी० *4.04 प्राकृतिक निवास*-यह नीति प्राकृतिक निवास संरक्षण एवं भूमि के सुधारिकृत उपयोग तथा प्राकृतिक निवासों की सुरक्षा एवं पुनर्वास तथा परियोजना वित्तपोषण के कार्य के प्रति आई.एफ.सी की वचनबद्धता का समर्थन करती है। आई.एफ.सी ऐसी परियोजनाओं में सहयोग नहीं करती जिनमें संकटपूर्ण प्राकृतिक निवासों का पयप्ति संपरिवर्तन अथवा अवक्रमण होता है।

विश्व बैंक ओ०डी० 4.20 देशी व्यक्ति - अपनी स्वयं की प्रचालन नीति पर अंतिम निर्णय के आभाव में आई.एफ.सी परियोजनाएं निजी क्षेत्र की उचित परियोजनाओं के अनुसार देशी व्यक्तियों के लिए विश्व बैंक ओ०डी० 4.02 के अनुरूप होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरण प्रभाव के मामलों में विश्व बैंक ओ०डी० 4.20 का पालन किया जाना चाहिए।

विश्व बैंक ओ०डी० 4.12 अनभिप्रेत पुनर्वास - विश्व बैंक और आई.एफ.सी वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित अनभिप्रेत पुनर्वास के मामलों में नीति और प्रक्रियाओं का निर्धारण ओ०पी० 4.12 में किया गया है। विकास परियोजनाओं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्आबंटन, व्यवसाय और आय के स्रोतों का ह्रास, उत्पादक परिसंपत्ति एवं सामुदायिक संसाधन शामिल हैं, के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत ओ०पी०में दिए गए है।

विश्व बैंक ओ०पी०एन० 11.03 सांस्कृतिक संपत्ति - अपनी स्वयं की प्रचालन नीति के अभाव में, निजी क्षेत्र की उचित परियोजनाओं के अनुसार आई.एफ.सी की परियेाजना विश्व बैंक ओ०पी०एन० 11.03 अनुरूप होनी चाहिए।

2.3.2 सार्वजनिक परामर्श एवं प्रकटीकरण

सार्वजनिक लोकपरामर्श - समूह 'ए' परियोजनाओं के लिए ई०ए० प्रक्रिया के दौरान परियोजना प्रायोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना के पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं पर वह संबंधित पणधारियों, जिनमें प्रभावित ग्रुप, गैर-सरकारी संगठन ''एन०जी०ओ०'' तथा स्थानीय प्राधिकारी शामिल हो, से अर्थपूर्ण परामर्श करे एवं उनके विचारों पर ध्यान दें। परियोजना प्रायोजक को परामर्श का कार्य यथाशीध्र आरंभ करना चाहिए। अर्थपूर्ण परामर्श हेतु परियोजना प्रायोजक को चाहिए कि वह संबंधित सूचना समय पर और ऐसे रूप तथा भाषा में उपलब्ध करवाए जो उस ग्रुप की समझ में आती है जिससे परामर्श किया जा रहा है।

समूह ‘ए’ परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रायोंजकों को संबंधित पणधारियों से कम से कम दो बार परामर्श किया जाना चाहिएः

(क) स्कोपिंग के दौरान एवं ई०ए० के लिए विचारणीय विषयों पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व, तथा
(ख) ई०ए० की मसौदा रिपोर्ट तैयार कर लेने पर

ई०ए० मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श के पश्चात परियोजना प्रायोजक सर्वपरामर्श प्रक्रिया के ब्योरे, जिनमें विभिन्न पणधारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति प्रायोजक के उत्तर और इन मुद्दों को परियोजना डिजाइन में शामिल करने और लागू करने के संबंध में किए गए उपयों का उल्लेख करते हुए ई०ए० में अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाना। परियोजना निर्माण एवं प्रचालन के दौरान परियोजना प्रायोजक यथावश्यक, संबंधित पणधारियों से निरंतर परामर्श करेगा ताकि उन्हें प्रभावित करने वाले ई०ए० से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। आई. एफ.सी यह अपेक्षा करती है कि प्रायोजक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपनी वार्षिक आवश्यकता के एक अंश के रूप में लगातार किए जाने वाले परामर्श की सूचना उन्हें दे।

सूचना का प्रकटन - समूह ‘ए’ परियोजनाओं के लिए प्रायोजक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगा एवं किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, जहां परियोजना पणधारी आसानी से पहुंच सकें, मसौदा ई०ए० रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा। यह सूचना यथाशीघ्र एवं बोर्ड द्वारा विचार किए जाने, बंद होने की तारीख अथवा प्रबंधकों के अनुमोदन की तारीख से 60 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषा में, गैर-तकनीकी ई०ए० रिपोर्ट का सार स्थानीय पणधारियों को भिजवा दिया जाना चाहिए।

2.3.3 निर्देशक टिप्पणी

आई.एफ.सी की पर्यावरण एवं सामाजिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों के दायरे में निर्देशक टिप्पणियां निहित हैं जिनका पालन आवश्यक है। परियोजना के लिए संगत मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैंः

- निर्देशक टिप्पणी ‘ए’ - इसके अंतर्गत ई०ए० के उन संभावित मुद्दों की जांच सूची दी गई है जिन पर कार्यवाही अपेक्षित होती है।

- निर्देशक टिप्पणी ‘बी’ - इसमें पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के सार की रूपरेखा दी गई है।

- निर्देशक टिप्पणी 'सी' – इसमें पर्यावरण कार्य परियोजना की रूपरेखा दी गई है। आई. एफ.सी समूह 'ए' की प्रत्येक परियोजना में ई०ए०पी होना आवश्यक है। ई०ए०पी में न्यूनीकरण, प्रबंधन, अनुभ्रक्ण एवं ऐसे संस्थागत उपाय दिए जाने चाहिए जिन्हें कार्यान्वियन एवं प्रचालन के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सके ताकि प्रतिकूल पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों को समाप्त किया जा सके, अनका प्रतिकार किया जा सके अथवा उन्हें स्वीकार्य स्तरों तक घटाया जा सके।
- निर्देशक टिप्पणी 'एफ' – इसमें सार्वजनिक परामर्श एवं प्रकटीकरण योजना तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं।
- विद्युत प्रसारण एवं वितरण के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत ।
- पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल ''पी.सी.बी. के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत।

3. पूर्ववर्ती सार्वजनिक विचार-विमर्श एवं प्रकटीकरण की समीक्षा

परियोजना प्रस्तावकों ने अपने परियोजना स्थल पर दौरे के दौरान प्रभावित चार गांवों के निवासियों के साथ अभी तक कुछ अनौपचारिक बैठकें की है। भूमि संबंधी रिकार्ड और अन्य संबद्ध दस्तावेजों की जांच के लिए उन्होंने स्थानीय शासकों से भी संपर्क किया है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा रिकार्ड की गई जनता की आशंकाओं का उल्लेख सारणी 3.1 में किया गया है। प्रीनि गांव में 7 मई, 2003 को एक जन परामर्श बैठक की गई थी। उसके विस्तृत कार्यवृत्त परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

तालिका 3.1 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा रिकॉर्ड की गई सार्वजनिक आशंकाएं

पणधारी	आयोजित बैठकों की सं.	उपस्थित व्यक्ति	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई

पणधारी	आयोजित बैठकों की सं.	उपस्थित व्यक्ति	जिन मुद्‌दों पर चर्चा की गई
ग्रामवासी	उपलबध नहीं है	RSWM के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रीनि, जगत सुख, एलेऊ,, हामटा और छलेट गांव के वासी	• ग्रामवासियों द्वारा मांगी गई भूमि की औसत लागत रु. दो लाख/बिसवा थी जो रु. 494.44 लाख/ हैक्टेयर बैठती है। यह मूल्य आरंभिक आधार मूल्य होगा और अंतिम समझौता मूल्य इससे कम होगा। तथापि, सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिकतम 33.6 लाख रु. प्रति हैक्टेयर का मूल्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में परियोजना प्राधिकारियों से चर्चा के लिए ग्रामवासी तैयार हैं। • ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है कि यदि संभव हो तो 10 वर्ष की आयु वाले सेब के वृक्षों को पुनः लगाने की अनुमति दी जाए। ऐसा इसलिए है कि सेब के वृक्ष पर 7 वर्ष बाद फूल आते हैं। अतः ग्रामवासी सेब की खड़ी फसल को छोड़ना नहीं चाहते। ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है कि परियोजना वाहन के रूप मे उनकी टैक्सियां परियोजना द्वारा किराए पर ली जाएं। इसमें क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

पणधारी	आयोजित बैठकों की सं.	उपस्थित व्यक्ति	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई
			• ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। परियोजना प्राधिकारी स्थानीय लोगों को उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और दक्षता के आधार पर उचित रोजगार देने के प्रयास करेंगे। परियोजना से अत्यधिक प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। • छलेट गांव के निवासियों ने अनुरोध किया है कि उनके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई जाए। परियोजना के लिए सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने प्राधिकरियों से यह अनुरोध भी किया कि पावरहाउस से फोरबे की सड़क को उस प्रकार संरेखित किया जाए कि वह छलेट गांव के बीच से गुजरे। • 'शुरू' गांव के निवासियों ने वहां स्थित मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है। उन्होंने परियोजना प्राधिकरियों से जीर्णोद्धार के कार्य में योगदान देने का अनुरोध भी किया है। • अवशिष्ट एवं कूड़ा-करकट के क्षेपण, वृक्षों की कटाई एवं भूस्खलन के कारण सेब के वृक्षों को पहुंचने वाली क्षति जैसे पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रति ग्रामवासी चिंतित थे।

परामर्शकों ने परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं ऐसे व्यक्ति जो परियोजना से सीधे-सीधे प्रभावित नहीं हैं, के साथ परामर्श किया। महिलाओं, जी0पी0 सदस्यों, वृद्ध व्यक्तियों के साथ अलग से परामर्श किया गया ताकि परियोजना के प्रभाव के संबंध में उनके विचारों तथा परियोजना से उनकी प्रत्याशाओं की जानकारी मिल सके। ग्रामवासियों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गईः

- भूमि अधिग्रहण और ऐसी नदी के जल के मार्ग में परिवर्तन, जिसका उपयोग किसान सिंचाई के लिए करते हैं, के कारण आय/आजीविका की हानि।
- ईंधन की सुलभता।
- औषधीय प्रयोजन से जड़ी-बूटियां एकत्र करना।
- सामाजिक ढांचे/संरचना/मूल्यों में बाधा।
- रोजगार के अवसर।
- क्षेत्र का विकास (आधारभूत सुविधांए)।
- सामाजिक एवं आर्थिक सुअवसर।
- क्षेत्र में अतिरिक्त लोगों के आगमन के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव।
- पक्की सड़क पर पहुंच का प्रभाव।
- बाहरी समुदाय के साथ व्यापक अन्योन्यक्रिया का प्रभाव।
- सामुदायिक विकास के अवसर ।
- महिलाओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव।

तालिका 3.2 में सार्वजनिक विचार-विमर्श के विस्तृत ब्यौरे दिए हैं।

तालिका 3.2 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान (फरवरी-अप्रैल 2003) किए गए सार्वजनिक विचार-विमर्श

ग्रामवासी 4	प्रीनि, जगत सुख, और एलेऊ, के ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के सदस्य, आर एस डबलयु एम के प्रतिनिधि	• प्रीनि और जगत सुख में जी०पी० ने परियोजना स्टाफ से कहा कि परियोजना से प्रभावित होने वाले वास्तविक भूखंड की पहचान के लिए वे स्थानीय पटवारी के साथ चलें। • प्रभावित परिवारों को अपनी खड़ी फसलों को काटने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। • प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को उसकी शिक्षा और दक्षता के आधार पर नौकरी दी जाए।

- परियोजना के लिए भर्ती करते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता की जाए।
- परियोजना प्रस्तावाकें द्वारा गांव में एक हाई स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया जाए।
- कालोनी से अधिक सड़क के लिए भूमि देने की इच्छा।
- लोग यह जानना चाहते थे कि परियोजना के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
- प्रभावित भूमि के लिए बाजार मूल्य के आधार पर प्रतिपूर्ति।
- बड़ी संख्या में बाहर से लोगों के गांव में आने से उनके सामाजिक ढांचे/संरचना के बाधित होने की आशंका।
- बहुत कम लोग सोचते हैं कि गांव में रोजगार अथवा आधारभूत सुविधाओं से विकास के नवीन अवसर प्राप्त होंगे।
- सामान्य रूप से महिलाएं प्रस्तावित कालोनी से असंतुष्ट थी और वे बाहरी लोगों के गांव में आने की पक्षधर नहीं थी।

- मुख्य आशंका यह थी कि गांव के भीतर उनकी गतिविधियां बाधित हो जाएंगी।

- प्रभावित भूमि से आय में कमी होने के कारण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे ऐसे परिवार अत्यधिक प्रभावित होंगे जिनके पार आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है।

- परियोजना स्टाफ के साथ संपर्क द्वारा नवीन अवसरों की प्राप्ति की ग्रामवासियों को कोई आशा नहीं है।

- जनसंख्या में अचानक वृद्धि से गांव में स्वच्छता के प्रभावित होने की संभावना है।

- उन्हें ऐसी आशा है कि ईंधन और पानी पर दबाव कई गुणा वढ़ जाएगा जिसके कारण महिलाओं को और अधिक कठिनाइयां होंगी।

- ग्रामवासियों को ऐसी आशंका है कि पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई धाराओं के मार्ग परिवर्तन आदि से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

- ईंधन, जल, प्राइमरी स्वास्थ्य केंन्द्र जैसे स्थानीय संसाधनों बिजली की आपूर्ति जैसी सेवाओं पर बढ़े दबाव के कारण विद्यमान आधारभूत सुविधाएं उनका सामना नहीं कर पाएंगी।

- यह आशंका भी व्यक्त की गई कि सड़क के निर्माण से पड़ोसी वनों से लकड़ी और ईंधन की तस्करी होने लगेगी।

- जगत सुख में जी.पी. ने दावा किया कि उनसे मिलने के अनुरोध पर परियोजना अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

- वे इस बात को वरीयता देंगे कि पंचायत अथवा सरकारी भूमि या कम उत्पादक भूमि का अधिग्रहण कालोनी बनाने के लिए किया जाए।

- जी0पी0 यह चाहती है कि परियोजना प्रस्तावक उन्हें यह आश्वासन दें कि खेतों को सींचने के लिए वे नदियों में पयप्ति जल छोड़ देंगे।

- अपनी प्रत्याशाओं के संदर्भ में वे परियोजना प्रस्तावकों से सीधे बात करना पसंद करते हैं और विशेषतः वे परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अपना पूरा सहयोग देने के इच्छुक हैं।

3.1 उठाए गए मुद्दों पर परियोजना प्रस्तावकों की प्रतिक्रिया

उपर उल्लिखित जन आशंकाओं के उत्तर में परियोजना प्रस्तावकों ने गांवों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर कार्यवाही या उसे दूर करने के लिए अपनी योजनाओं और विचारधाराओं के संबंध में कार्यालयीन स्थिति स्पष्ट की है। उन्हें पहली बार 7 मई, 2003 को जन प्रकटन बैठक के दौरान जनता के सामने रखा गया। प्रस्तुत मुख्य मामलों को RSWM द्वारा प्लान किए गए

उपायों के साथ नीचे दर्शाया गया है ताकि उन्हें एवं पर्यावरण तथा सामाजिक न्यूनीकरण और प्रबंधक योजना (ESMMP) को संबोधित किया जा सके।

3.1 कार्यान्वयन चरण एवं प्रचालन चरण के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट सामग्री

जिन सथानों पर उत्खनन का मुख्य कार्य किया जाएगा वहां तीन क्षेपण स्थल प्रस्तावित हैं। इन क्षेपण स्थलों को उचित तरीके से भरकर बराबर कर दिया जाएगा तथा वहां बागान लगा दिए जाएंगे। 30 प्रतिशत कूड़े करकट का परियोजना संघटकों में पुनः इस्तेमाल होगा। केवल 70 प्रतिशत कूड़े को अनुमोदित डम्पिंग स्थलों पर डाला जाएगा।

3.1.2 स्वास्थ्य के लिए खतरे

परियोजना प्रस्तावक इस बात से सहमत हैं कि प्रभावित गांवों में चिकित्सा संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की संभावनाओं का पता लगााया जाए। ESMMP ने विस्तृत स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का सुझाव दिया है जिसमें क्लीनिकों के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं, चलती-फिरती स्वास्थ्य गाड़ियां और क्षेत्र में खतरनाक बीमारियों पर निगाह रखना शामिल है।

3.1.3 परियोजना अधिकारियों द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार मुहैया करवाना

परियोजना प्राधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे तथा परियोजना से प्रभावित लोगों को आवश्यकता तथा उपलब्धता के अनुसार PAF में दक्षता के आधार पर नौकरियां देंगे। ग्रामवासी अपनी विभिन्न दक्षताओं और शैक्षिक स्तरों की सूची RSWM को देने के लिए सहमत हैं।

3.1.4 भूमि मूल्यांकन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के सर्वाधिक संभावित मूल्यों के निर्धारण हेतु एक समझौता समिति गठित की गई है। भूमि और परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्यों के लिए प्रयास किए जाएंगे।

3.1.5 नदियां में अवशिष्ट का बहाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऐलाइन और दुहंगन, दोनों बांधों पर पूरे वर्ष अपवर्तन बांध के अनुप्रवाह अपेक्षित न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखा जाएगा। परियोजना के प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त जल की उपलब्धता बनाए

रखते हुए प्रभावित गांव और स्थानीय पारिस्थितिकी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। दुहंगन धारा को उसके अपवर्तन से लगभग 1500 मी. बाद जोड़ने वाले काले नाले के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जगत सुख को जलापूर्ति बनी रहे।

3.1.6 रंगभूमि मंदिर के जीर्णोद्वार की ग्रामवासियों की मांग

ग्रामवासियों की एक रंगभूमि/स्टेडियम के निर्माण तथा पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग के प्रत्युत्तर में RSWM ने आंशिक सहायता सुनिश्चित की है।

3.1.7 वृक्षों की हानि एवं पारिस्थितिकी पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव

परियोजना के कारण काटे गए 1352 वृक्षों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से RSWM छोटे पेड़ लगाएगा और प्रतिपूरक वनरोपण तथा आवाह क्षेत्र अभिक्रिया योजना के एक भाग के रूप में 40 वर्षों तक उनकी देखभाल करेगा।

3.1.8 सेब के वृक्षों का स्थान बदलना

सेब के वृक्षों के स्थान बदलने के लिए तकनीकी ज्ञान एवं परिवहन के प्रबंध के रूप में RSWM सहायता प्रदान करेगा। इस प्रयोजनार्थ बजट प्रावधान रखे गए हैं।

3.1.9 स्थानीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव

RSWM ने आश्वासन दिया है कि पावर प्लांट निर्माण के लिए लोगों के आगमन के कारण स्थानीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर खाना पकाने के लिए कार्मिकों को LPG मुहैया करवाई जाएगी ताकि स्थानीय तौर पर ईंधन की आवश्यकता में अचानक किसी प्रकार की वृद्धि न हो।

3.1.10 PAP से टैक्सियां या वाहन किराए पर लेना

RSWM ने आश्वासन दिया है कि निर्माण के विभिन्न चरणों में परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार PAP के वाहनों और टैक्सियों को किराए पर लिया जाएगा।

3.1.11 स्थानीय संस्कृति या सामाजिक ढांचे को खतरा

इस मामले पर RSWM जनता के साथ परामर्श करके कार्यवाही करेगा। उसमें आशंकाओं को समझना और ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से समस्याओं के हल ढूंढना शामिल है।

4. पणधारी

पणधारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों या समूहों से है जिनकी प्रस्तावित कार्यक्रम या परियोजना में भागीदारी होती है और जो परियोजना नीति, योजना बनाने एवं कार्यान्वयन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जन परामर्श प्रक्रिया की सफलता सर्वप्रथम पणधारियों की सही पहचान और बाद में उनकी आशंकाओं और प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है।

4.1 मुख्य पणधारी

4.1.1 भूस्वामी

पणधारियों का एक प्रमुख समूह ऐसे व्यक्तियों का होता हैं जो भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होते हैं। प्रभाव की प्रबलता अधिग्रहण की मात्रा के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है जो प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध भूमि तथा उस भूमि से प्राप्त होने वाली आजीविका के अनुपात से संबंधित होती है।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि के अधिकांश भाग का अधिग्रहण किया जा रहा हो, की मुख्य चिंता खेती के लिए गांव में वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता है। भूमि के घाटे के लिए वे बेहतर क्षतिपूर्ति की आशा करते हैं और जहां संभव हो, सेब के वृक्षों को स्थांनातरित करने में सहायता की चाह भी रखते हैं। क्षतिपूर्ति में विलंब होने से परियोजना की अनिश्चितता बढ़ जाती है और इससे उन प्रभावित भूखंडों से होने वाली आय भी प्रभावित हो सकती है।

4.1.2 गैर-विधिक कृषि

कुछ गांवों में भूमि का एक बड़ा भाग 'देवता' भूमि के रूप में वर्गीकृत होता है जिसे खेती के लिए कुछ परिवारों को सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसी वनभूमि भी होती है जिस पर समुदाय के कुछ व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से खेती करते हैं।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

सामान्यतः सरकार गैर-विधिक कृषि को मान्यता नहीं देती, अतः उनकी मुख्य आशंका यह रहती है कि न तो उन्हें भूमि के अधिग्रहण से क्षतिपूर्ति होगी अपितु वे ऐसी भूमि से होने वाली आय से भी वंचित हो जाएंगे। वे यह आशा करते हैं कि उन्हें विधिक उपाधिधारियों के बराबर समझा जाए अथवा उन्हें वृक्षों एवं आय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए।

4.1.3 बटाईदार

चूंकि अनेक परिवारों के पास बहुत कम भूमि होती है, इसलिए उनके लिए छोटे भूखंडों से भरण-पोषण कठिन हो जाता है। अतः अनेक परिवार अन्य लोगों की जमीन को बटाईदार के रूप में जोतते हैं। बटाईदारी की यह व्यवस्था कुछ मामलों में लागत और उत्पाद के 50 प्रतिशत की भागीदारी की होती है जबकि अन्य मामलों में यह लागत और उत्पाद क्षेत्रों के लिए, 60-40 हो सकती है। नमूना सर्वेक्षण में किसी भी परिवार ने प्रभावित भूखंडों पर बटाईदारी की बात नहीं की। तथापि, कुछ PAF ने यह उल्लेख अवश्य किया कि वे बटाईदारी के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमि जोतते हैं।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

भूमि की हानि होने से इन बटाईदारों को अपनी पारिवारिक आय के एक भाग का घाटा होगा। उन्हें आशा है कि आय में घाटे की प्रतिपूर्ति प्रभावित भूखंड से कर दी जाएगी।

4.1.4 श्रम

कृषि के मौसम के दौरान अधिकांश व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों (रिश्तेदारों आदि) को श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए शामिल कर लेते हैं। इसके बदले में वे स्वयं उनकी भूमि पर श्रमिक के रूप में कार्य करके अपने रिश्तेदारों की सहायता करते हैं। तथापि, सभी गांवों में कुछ परिवार एसे भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वे श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी आजीविका कमाते हैं।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

श्रमिक समुदाय को आशंका है कि वे कार्य के एक अधिक विश्वसनीय स्रोत को खो देंगे तथा वे आय में घाटे की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रखते हैं।

4.1.5 महिलाएं

सामान्यतः महिलाएं दो भिन्न समूहों से संबंध रखती हैं। अर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएं सामान्यतः कार्य करने के लिए खेतों में नहीं जाती। वे घरेलू कार्यो, मवेशियों और पशुओं की देखभाल करना और शाल, कालीन आदि बुनने के कार्य में व्यस्त रहती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं न केवल घरेलू कार्य ही करती हैं अपितु अपने स्वयं के खेतों में भी कार्य करती हैं तथा अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करके आय भी अर्जित करती हैं।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

महिलाओं को आशंका है कि बाहर से लोगों के उनके गांव में रहने के लिए आने से उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी और गांव के भीतर उनकी आवाजाही दिन में कुछ समय तक ही सीमित होकर रह जाएगी। उनकी मुख्य आशंका यह थी कि उनकी सामाजिक संस्कृति और परंपराएं प्रभावित हो जाएंगी। जगतसुख गांव को जिले का सर्वश्रेष्ठ गांव माना जाता है, उन्हें आशंका है कि बाहरी व्यक्तियों के आने से गांव की स्वच्छता प्रभावित होगी। उन्हें परियोजना प्रायोजकों से बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और आय सृजन के बेहतर अवसर प्राप्त होने की प्रत्याशा है। जिन व्यक्तियों को भूमि की हानि हो रही है उनमें से अधिकांश अपने परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी की आशा रखते हैं।

4.1.6 जनजातीय परिवार

इस क्षेत्र का जनजातीय समुदाय लाहोल-स्फीति क्षेत्र से संबंध रखता है जो लगभग 25-30 वर्ष पूर्व यहां आए थे। उनमें से कुछ के पास लाहोल में अभी भी घर और जमीन हैं।

प्रमुख आशंकाएँ एवं प्रत्याशाएं

समुदाय यह प्रत्याशा रखता है कि प्रभावित भूमि के लिए उन्हें बेहतर प्रतिपूर्ति मिलेगी और अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी।

4.1.7 अन्य अतिसंवेदनशील परिवार

इस परियोजना में अतिसंवेदनशील समूह में ऐसे परिवार आते हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, विक्लांग व्यक्ति जो परियोजना से प्रभावित हैं और वे व्यक्ति जो परियोजना के कारण हुए नुकसान की वजह से गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

उस समूह की मुख्य आशंका यह है कि भूमि जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है, की हानि हो जाएगी। चूंकि इनमें से अधिकांश के पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए वे भविष्य के प्रति आशंकित हैं। वे यदि संभव हो तो, परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की प्रत्याशा रखते हैं ताकि आय के नियमित स्रोत सुनिश्चित किए जा सकें।

4.1.8 सामूहिक संपत्ति संसाधन (सी0पी0आर0) उपयोक्ता

इस क्षेत्र में प्रत्येक गांव में पूर्णतः परिभाषित गौचर भूमि है जहां समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। वे ईंधन के लिए सूखी लकड़ी भी इकट्ठी करते हैं। यह बताया गया है कि इन गांवों के लिए यह मुख्य चरागाह है और चूंकि अन्य गांव इन समुदायों को अपने गौचर में पशु चराने अथवा ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने की अनुमति नहीं देंगे इसलिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता बहुत कम है।

आशंकाएं और प्रत्याशाएं

लोगों की आशंका है कि दुहंगन धारा से जल रोक देने से सिंचाई के लिए उपलब्ध अनुप्रवाह जल का गंभीर संकट हो जाएगा। सिंचाई की सुविधा में कमी सें फसलें प्रभावित होंगी। वे प्रत्याशा करते हैं कि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

4.1.9 विद्युत प्रसारण लाइनों से प्रभावित परिवार

ऊर्ध्वस्थ लाइनों के निर्माण से भूमि अधिग्रहण और कृषि संबंधी गतिविधियों में बाधा आने की संभावना है। हालांकि बहुत अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, जिस अवधि के दौरान खंभे लगाए जाएंगे और केबल बिछाई जाएगी उसमें मशीनरी और श्रमिक गतिविधियों के कारण कृषि गतिविधियां अस्थायी तौर पर प्रभावित होने की संभावना है।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

सामान्यतः टावर खड़े करने का कार्य तीन चरणों में किया जाता है। एक सामान्य आशंका यह है कि इन तीनों चरणों में उनकी खड़ी फसलें प्रभावित होंगी। अतः प्रभावित व्यक्ति सभी तीनों चरणों में खड़ी फसल की क्षति के लिए प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा रखते हैं।

4.1.10 ग्रामीण संस्थान

सभी गांवों में ग्राम पंचायत एक मुख्य पणधारी होती है जो परियोजना कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाती है। पंचायत के अलावा, स्वयंसेवी समूह, जलविभाजक विकास समितियां, वनरोपण ग्रुप भी होते हैं जो प्रभावित गांवों में विकास की गतिविधियों से जुड़े होते हैं।

प्रमुख आशंकाएं एवं प्रत्याशाएं

बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के गांव में आकर बस जाने एवं उससे जल, ईंधन की लकड़ी आदि जैसे स्थानीय संसाधनों के प्रभावित होने के प्रति जी०पी० आशंकित हैं कि वे परियोजना को बढ़ाया जाए अथवा गांव में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

4.2 अन्य पणधारी

4.2.1 राजनीतिक दल

चूंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा विरोध किए जाने पर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है, अतः यह आवश्यक है कि परियोजना के आरंभिक चरणों में ही उनसे चर्चा कर ली जाए।

4.2.2 सरकारी विभाग

परियोजना के सफल निष्पादन में विभिन्न सरकारी विभागों की शाखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण, पैसे का भूस्वामियों को अंतरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, जनजाति विकास विभाग, जिला खजांची जैसे संबंधित विभागों और पंचायत तथा जिला परिषद जैसे स्थानीय स्व-शासित संस्थानों से अनुमति प्राप्त करना शामिल होता है।

4.2.3 एन.जी.ओ. एवं मीडिया

जिन तीन गांवों में नमूना सर्वेक्षण किया गया उनमें किसी में भी कोई एन०जी०ओ० कार्य नहीं कर रही है। तथापि, मनाली जिले में अनेक एन०जी०ओ० कार्य कर रही हैं जो विकास के अनेक मामलों पर कार्यरत हैं। अभी तक किसी भी एन०जी०ओ० ने परियोजना में दिलचस्पी

नहीं दिखाई है और न ही परियोजना अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है। तथापि, परियोजना के पक्ष में समुदाय को तैयार करने एवं पुनर्वास कार्यवाही योजना के कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करना लाभप्रद हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में, सूचना प्राप्ति के लिए मीडिया एक उपयुक्त साधन हैं हालांकि स्थानीय मीडिया में परियोजना को कुछ–कुछ कवर किया गया है फिर भी परियोजना प्रस्तावकों ने उन्हें सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया है। उपयुक्त चरणों पर, परियोजना की सही सूचना मीडिया को उपलब्ध करवानी होगी जिससे अन्य सभी पणधारियों को सूचना देने में सुविधा हो जाएगी।

4.2.4 सेवा संभरक

पर्यटन प्रचालक, परिवहन प्रचालक तथा निवेश उपलब्ध करवाने वाले जैसे सेवा संभरक इस परियोजना से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना के माध्यम से व्यापार के लिए अतिरिक्त सुविधांए उपलब्ध हो जाएंगी।

4.2.5 वित्तीय संस्थान

भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, जो इस परियोजना को वित्त उपलब्ध करवाएंगे, को परियोजना में निवेश के माध्यम से हिस्सेदारी होगी। वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना में विलंब न होने पाए जिसके कारण लागत में वृद्धि तथा किसी निवेश पर कम लाभ होता हो। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य प्रकार के जोखिम भी कम से कम हों। परियोजना के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का असर वित्तीय संस्थान पर भी होगा।

5. *सार्वजनिक विचार-विमर्श एवं प्रकटीकरण कार्यक्रम*

5.1 सार्वजनिक विचार-विमर्श एवं प्रकटीकरण कार्यक्रम के मुख्य सिद्धांत

इस खंड के अंतर्गत PCDP विकास में लागू होने वाले मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। ये सिद्धांत IFC मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं जिन्हें प्रभावित क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टता के अनुसार संशोधित किया गया हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैंः

- सभी पणधारियों से परामर्श किया जाना चाहिए और परियोजना प्रायोजकों के साथ दो-दिवसीय संचारण में उन्हें शामिल किया जाए।
- परामर्श से पूर्व सभी प्रकार की संगत एवं सटीक सूचना उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए।
- परामर्श निरंतर किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों को यह जानकारी मिल सके कि उनकी आशंकाओं पर परियोजना प्रायोजकों द्वारा कार्यवाही की जा रही है या नहीं।
- विभिन्न पणधारियों को सूचना की आपूर्ति एवं उनके साथ परामर्श ऐसी भाषा और माध्यम में किया जाना चाहिए जो उन्हें समझ में आता हो।
- कुछ मामलों में, उदाहरणार्थ, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, जिनमें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना आसानी से लोगों की समझ में न आती हो, उनमें प्रायोजकों को चाहिए कि वे उसके सरलीकरण का दायित्व लें तथा यह सुनिश्चित करें कि संपूर्ण प्रक्रिया परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की समझ में आ जाती है।
- जन शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक विशिष्ट एवं पारदर्शी तंत्र तथा परियोजना प्रायोजकों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना देने के लिए एक फीडबैक तंत्र होना चाहिए।
- PCDP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दायित्व तथा जिम्मेदारी प्रक्रिया, कार्मिक एवं उपलब्ध संसाधनों का स्पष्ट निरूपण किया जाना चाहिए।

इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न पणधारियों के लिए सूचना के आदान-प्रदान और परामर्श की योजना नीचे दी गई हैः

5.2 सूचना की आवश्यकता

प्रभावी जन परामर्श के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी पणधारियों को संगत और विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जाए। निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर सूचना दी जानी चाहिएः

- परियोजना की संक्षिप्त सूचना (एस पी आई) जिसमें परियोजना के मुख्य तत्व, उसके प्रायोजक, परियोजना की लागत, स्थान, परियोजना का विवरण दिया गया हो तथा पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव तथा उन्हें कम करने के प्रस्तावित उपायों का संक्षिप्त सार तैयार किया जाएगा। इस सूचना की जानकारी सरकार, वित्तीय संस्थान, प्रभावित व्यक्तियों तथा जनता को दी जाएगी।
- प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के ब्यौरों सहित एक पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट सभी पणधारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी तथा उसे ऐसे निर्धारित स्थानों पर रखा जाएगा जहां जनता असानी से उसे देख सके।

- प्रत्येक प्रभावी व्यक्ति से अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की मात्रा और स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इस सूचना की जानकारी उन पंजी त भूस्वामियों, कृषकों, बटाईदारों तथा श्रमिकों को दी जानी चाहिए जिन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण भूमि अथवा आय की हानि होती हो।

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का स्पष्टीकरण और विस्तृत सूचना, क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के लिए अपनाए गए नियमों, क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि, क्षतिपूर्ति की राशि के अंतरण की प्रकृति और प्रक्रिया तथा अन्य हकदारियां।

- आस-पास के क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता तथा क्षतिपूर्ति की राशि के प्रभावी इस्तेमाल के लिए अन्य मार्गो की सूचना ताकि आय स्तरों का उचित प्रयोग और पुनः प्रतिष्ठा सुनिश्चित की जा सके।

- ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें 25 प्रतिशत भूमि की हानि होगी और ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें अपनी कुल भूमि के 75 प्रतिशत से अधिक की हानि होगी।

- पुनर्वास और प्रस्तावित सामुदायिक विकास के उपायों के संदर्भ में परियोजना अधिकारियों द्वारा सूचना का प्रचार।

- प्रशिक्षण, संभावित रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रमों की सूचना।

- ऐसे उपयुक्त परियोजना प्राधिकारियों की सूचना जिनसे सूचना और शिकायत निवारण के लिए संपर्क किया जा सके।

- परियोजना प्रायोजकों तथा सरकार एवं जिला प्रशासन के बीच परामर्श के लिए निम्नलिखित सूचना अपेक्षित हैं : परियोजना रिपोर्ट, भूमि योजना, सहयोग योजना तथा पावर क्रय करार।

5.3 सूचना उपलब्ध करवाने का माध्यम

विभिन्न पणधारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए परियोजना निम्नलिखित मीडिया पर आश्रित हैं:

- अंग्रेजी और हिंदी में दस्तावेज एवं रिपोर्ट
- लिखित विशिष्ट सूचना
- सार्वजनिक घोषणाएं
- पर्चे
- फोकस ग्रुप चार्चाएं और बैठकें
- विडियो प्रदर्शन
- स्ट्रीट थिएटर

विशिष्ट पणधारियों के लिए विशिष्ट माध्यम की पसंद उसके विशिष्ट माध्यम की सुविधा और उस सूचना विशेष की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाती है। उनके व्यौरे निम्नलिखित हैं :

- परियोजना सूचना सार एवं पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट लिखित रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। पी०आई०एस० भी स्थानीय भाषा, हिंदी, में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस सूचना को सरकारी , अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों तथा मीडिया के साथ बांटा जाएगा। परियोजना मे प्रभावित गांवों के निवासियों के लिए उसे ग्राम पंचायत कार्यालय (जगतसुख), गांव के स्कूल एलेऊ के लिए चूंकि इनका जी०पी० बहुत दूर वशिष्ट, में है), गांव के डाक घर प्रीनि और हमटा के लिए) अथवा ग्रामवासियों के संदर्भ के लिए स्थानीय मंदिर में रखा जाएगा।

- प्रभावित परिवारों की सूचना और क्षतिपूर्ति एवं हकदारियों की सूचना विशिष्ट लिखित दस्तावेजों के माध्यम से प्रत्येक प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी।

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संदर्भ में जन घोषणाएं की जाएंगी।

- वैकल्पिक आम सृजन परियोजना तथा परियोजना द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण के संदर्भ में पैम्पलेट बांटे जाएंगे।

- प्रभावित गांवों में पी०ए०एफ० तथा समान्य जनता के लिए (नुक्कड़ नाटकों) का आयोजन किया जाएगा ताकि परियोजना से सम्बन्धित सूचना दी जा सके। साक्षर और निरक्षर जनता के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए नुक्कड़ नाटक एक प्रभावी माध्यम है।

- वीडियो प्रदर्शन भी संचारण के प्रभावी माध्यम हैं तथा पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों एवं प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायों के संदर्भ में समुदायों को जानकारी देने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा।

- जनता के विशिष्ट अंश को सूचना देने में फोकस ग्रुप चर्चाएं सहायक होती हैं, महिलाओं और संवेदनशील समूहों के साथ फोकस ग्रुप चर्चाएं की जाएंगी ताकि उन्हें परियोजना, उसके प्रभाव, क्षतिपूर्ति एवं हकदारियों की सूचना दी जा सके तथा उनकी आशंकाओं और प्रत्याशाओं की जानकारी ली जा सके।

- परियोजना के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में मंत्रालय और सरकारी विभागों के साथ फोकस वैठक के रूप में चर्चाएं की जाएंगी।

5.4 चर्चा की स्थान और पद्धति

विशिष्ट पणधारियों के लिए स्थान की उपयुक्तता, उनके द्वारा विचारों को मुक्तभाव एवं सरलता से प्रस्तुत करने एवं स्थान की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए चर्चा के स्थान और पद्धति के बारे में निर्णय लिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन में कठिनाई प्रभावित गांवों में से एक में सड़क मार्ग के अभाव आदि के कारण भी विचार किया जाना अपेक्षित है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पणधारियों के विभिन्न समूहों के साथ चर्चा के लिए निम्नलिखित पद्धति के अनुसार स्थान और पद्धति का चयन किया गया हैः

सरकार, वित्तीय संस्थान, मीडिया, एन जी ओ एवं राजनीतिज्ञ

उनके कार्यालय अथवा आर० एस० डब्लयू० एम० के स्थानीय परियोजना कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। पर्यावरण एवं सामाजिक मुददों पर पहले भेजी गई रिपोर्ट और दस्तावेजों(फोकस ग्रुप चर्चाओं अथवा बैठकों के आधार पर एक से एक व्यक्ति बैठकों में चर्चा करेगा।

प्रभावित गांवों के निवासी

विशिष्ट गांव में स्थान की उपलब्धता और उपयुक्तता तथा ग्रामीणों की पसंद। सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत कार्यालय, डाक घर, स्कूल भवन, मंदिर के प्रयोग अथवा खुले मैदानों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके लिए सामूहिक चर्चाएं पुस्तिकाएं, नुक्कड़ नाटक एवं वीडियो प्रदर्शन की पद्धति अपनाई जाएगी।

प्रभावित लोग

प्रभावित घरों अथवा पंचायत कार्यालय, खेतों/बगीचों जैसे खुले मैदानों, डाकघरों, मंदिर अथवा चर्चा के लिए उपस्थित प्रभावित लोगों को देखते हुए महिला मंडल कार्यालय में जन समूहों में परिवार स्तरीय सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी।

बटाईदारों एवं कृषि श्रमिकों (यदि कोई हों तो) की गणना के लिए सर्वेक्षण एवं सूचना प्रकटीकरण का कार्य कृषि के मौसम की मध्य में किया जाएगा ताकि प्रभावित सम्पूर्ण जनसंख्या की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

सूचना के परस्पर के लिए पुस्तिका, पोस्टर तथा पृथक मौखिक एवं लिखित संचालन की पद्धति अपनाई जाएगी।

महिलाओं के साथ महिला मंडल/एस.एच.जी कार्यालय में अथवा उनके द्वारा चुने गए स्थान पर अलग से चर्चाएं की जाएगी तथा इसके लिए फोकस ग्रुप चर्चा क पद्धति अपनाई जाएगी।

5.5 प्रतिनिधि संस्थान

प्रभावित गांवों की ग्राम पंचायत के सदस्य एवं परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधि चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे।

परियोजना प्रस्तावक ऊर्जा विभाग एवं भूमि अधिग्रहण विभाग, पर्यावरण संरक्षण विभाग, जिला प्रशासन, जिला परिषद, न्यायालय के प्रतिनिधियों एवं पंचायत के सदस्यों जैसे संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ अलग चर्चा सत्रों को अयोजित करेंगे।

रा०स०वी०मी० के विभिन्न स्तरों के अधिकारी परामर्श सत्रों में उपस्थित रहेंगे। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ होने वाले सत्र में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे जबकि सरकारी अधिकारियों के साथ वाईस चीफ/अफसरों चर्चाएं करेंगे। सचिव स्तर के नौकरशाहों के साथ चर्चा के लिए प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक उपस्थित रहेंगे। परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं जनता के साथ परामर्श के लिए समुदाय संपर्क अधिकारी और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के साथ मुख्य चर्चा के लिए प्रबंधक (सामाजिक एवं पर्यावरण) उपस्थित रहेंगे।

5.6 *चर्चाओं का रिकॉर्ड*

जन परामर्श सत्रों के सभी रिकार्डों को सुरक्षित रखा जाएगा तथा जनता की सुविधा के लिए उन्हें पंचायत कार्यालय, गांव के स्कूल और/अथवा महिला मंडल/एसएचजी कार्यालय में रखा जाएगा।

5.7 *प्रत्युत्तर*

सभी प्रश्नों और शिकायतों के उत्तर आगामी बैठक में दिए जाएंगे अन्यथा शिकायत विवरण के संभावित समय को बताते हुए विलंब के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा।

5.8 *सार्वजनिक विचार-विमर्श की अवधि*

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के लिए, जिन्हें भूमि और आय की हानि हो रही है, संपूर्ण पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान एक नियमित और निरंतर परामर्श की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। तथापि, सामान्य जनता के लिए परामर्श की आवृत्ति और उनका फोकस परियोजना के चरणों के अनुसार परिवर्तनीय रहेगा।

- निर्माण चरण से पूर्व परामर्श पाक्षिक अंतरालों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति की राशि, अन्य हकदारियों, वैकल्पिक रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा वृक्ष अंतरण और भूमि क्रय सहायता के बारे में जानकारी दी जा सके।

- परियोजना के आरंभ में पुराने मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए ग्रामवासियों के साथ चर्चाएं की जाएंगी।
- बाद में, जब परियोजना का स्टाफ कालोनी में बस जाएगा तथा नई सड़क के कारण बाहरी जनता का मुक्त अवागमन आरंभ हो जाएगा, प्रीनि, जगत सुख एवं हामटा के निवासियों के साथ चर्चाएं की जाएंगी ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण पर प्रभाव को कम किया जा सके। उदाहरण के तौर पर हामटा गांव में शीत ऋतु में पुरुषों के अस्थाई प्रवास के कारण पीछे रह गई महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमटा के निवासियों की मुख्य चिंता होती है।

- संयंत्र की स्थापना के पश्चात संयंत्र प्रचालन से एवं कुछ हद तक आवासीय कालोनी से अपशिष्ट सामग्री के निपटान के संदर्भ में ग्रामवासियों से चर्चा की जाएगी।

सरकारी अधिकारियों एवं जिला प्रशासकों जैसे अन्य पणधारियों के साथ परियोजना प्रस्तावक नियमित रूप से चर्चा करेंगे एवं प्रत्येक तिमाही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।

5.9 प्रभावी पीसीडी पी के लिए कार्य

प्रभावी पीसीडी पी के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य सूची नीचे दी गई है।

5.9.1 कार्य 1 : परियोजना सूचना सार तैयार करना

सभी पणधारियों एवं जनता के साथ आदान-प्रदान के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परियोजना सूचना का सार (एस पी आई) तैयार किया जाएगा। एस पी आई में परियोजना के प्रमुख अवयव इसके प्रायोजक, परियोजना की लागत, स्थान, परियोजना का वर्णन तथा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों का सारांश तथा प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायों का उल्लेख किया जाएगा। इस सूचना की जानकारी सरकार, वितीय संस्थानों, प्रभावित व्यक्तियों तथा जनता को दी जाएगी।

5.9.2 *कार्य 2 : एक कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति/वैकल्पिक व्यवस्था का गठन*

परियोजना प्रस्तावक एक कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति करेंगे या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे (एक इन-हाउस कार्यान्वयन यूनिट/सैल के रूप में) ताकि पुनर्वास कार्यक्रम का वास्तविक कार्यान्वयन और सूचना प्रकटन की संपूर्ण प्रक्रिया तथा पणधारियों के साथ परामर्श किया जा सके।

5.9.3 *कार्य 3 : मुख्य पणधारियों के साथ परामर्श करना एवं प्रारंभिक सूचना प्रसार*

जीपी के साथ चर्चा करना

परियोजना प्रस्तावक, जीपी के साथ चर्चा करेंगे ताकि उन्हें परियोजना की जानकारी दी जा सके और उनकी आशंकाओं की जानकारी मिल सके। यह जीपी को परियोजना के विभिन्न घटकों और उनके संभावित प्रभाव की जानकारी देंगे। ग्राम स्तर पर जताई गई आशंकाओं और उठाए गए मुद्‌दों को समझकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्य मुद्‌दों को सुलझाने के लिए परियोजना प्रस्तावक जीपी को भरोसे में लेंगे। प्रतिकूल प्रभाव को कम करने संबंधी हल ढूढ़ने तथा अनुकूल प्रभावों में वृद्धि लाने के उद्‌देश्य से वे जीपी को तैयार करेंगे। जीपी के साथ चर्चा पूरी परियोजना के दौरान जारी रहेगा तथा विशिष्ट ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। एक मुद्‌दा जिस पर चर्चा करके निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, वह क्षति को कम करने के लिए जगत सुख और प्रीनि गांव द्वारा सुझाया गया सड़क संरेखण संभाव्यता का है। एक अन्य मामला आवासीय कालोनी के लिए निम्न उत्पादकता भूमि (प्रमुख गुणवत्ता वाली भूमि के स्थान पर) के इस्तेमाल की संभावना का पता लगाने का है।

समुदाय के साथ चर्चा

जीपी के साथ परामर्श जब उस चरण तक पहुंच जाए कि उसे परियोजना के लिए सहयोग और सहायता मिलने की आशा बनने लगे तो परियोजना प्रायोजक बड़े समुदाय के साथ परामर्श की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित गांव के निवासियों को परियोजना संघटकों की जानकारी है और वे उसके संभावित प्रभाव की जानकारी रखते हैं। संवेदनशील समुहों के साथ अलग से परामर्श किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सूचना प्रसार की प्रक्रिया से अनभिज्ञ न रह जाएं और उनकी विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को भी समझने का प्रयास किए जाएंगे।

5.9.4 कार्य 4 : परियोजना विशेषताओं के प्रसार के लिए वैकल्पिक मीडिया का विकास एवं प्रयोग

परियोजना प्रस्तावक पीआईएस पर वैकल्पिक मीडिया (नुक्कड़ नाटक और वीडियो फिल्म) का विकास और प्रयोग करेंगे ताकि विशेष रूप से समुदाय के सदस्यों को प्रभावी रूप से सूचना दी जा सके। इन माध्यमों में स्थानीय बोली का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्रभावित समुदाय के सभी सदस्य (निरक्षरों सहित) परियोजना डिजाईन उसकी रूपरेखा, संभावित सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव और प्रस्ताविक न्यनीकरण उपायों को जान सकें। वीडियो वृत्तचित्र इसी प्रकार का सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों में डाल सकते हैं। इन फिल्मों में समुदायों द्वारा उठाई गई आशंकाओं को संबोधित भी किया जा सकता है।

सभी चारों प्रभावित गांव में वीडियो प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन/मंचन ऐसे समय में किया जाएगा जो समुदाय के अधिकांश सदस्यों के लिए उपयुक्त हो। वैकल्पिक मीडिया के विकास के लिए किसी ऐसी उचित व्यावसायिक फिल्म बनाने वाली एजेंसी और थिएटर ग्रुप की सेवाएं ली जा सकती हैं जिसे स्थानीय संस्कृति की जानकारी हो।

5.9.5 *कार्य 5 : परियोजना प्रभाव (भूमि की हानि) पर परामर्श और प्रभावित परिवारों की सूची को अद्यतन करने के लिए भूमि रिकार्ड*

आरंम्भिक आकलन के दौरान प्रभावित 25 प्रतिशत परिवारों के साथ संपर्क से ज्ञात होता है कि भूमि रिकार्ड से प्राप्त कुल परिवारों की संख्या के संशोधन की आवश्यकता इसलिए है कि प्रथमतः भूमि रिकार्डो का अद्यतन नहीं किया गया है और परिवार के भीतर ही भूमि का अनौपचारिक विभाजन भूमि स्वामित्व का वास्तविक कारक है जिसे कागजातों में दर्शाया नही जाता। अतः प्रभावित परिवारों की वास्तविक संख्या पता लगाने और वास्तविक हानि का आकलन करने के लिए प्रभावित परिवारों के साथ परामर्श किया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों की सही सूची से यह सुनिश्चित होगा कि जनगणना सर्वेक्षण में सही परिवारों को कवर किया गया है।

5.9.6 *कार्य 6: जनगणना सर्वेक्षण*

आनुभविक गणना और प्रभावित व्यक्तियों एवं सेब एवं अन्य फलदार वृक्षों सहित परिसंपत्तियों की एक सूची तैयार करने के उद्‌देश्य से परियोजना प्रस्तावक जनगणना का कार्य करेंगे।

सर्वेक्षण से उन स्थानों और परिसंपत्तियों की पहचान और निर्धारण हो जाएगा जिनके प्रभावित होने की संभावना है। परियोजना के कारण हुई क्षति की सीमा और प्रकृति के अनुमान लगाने के लिए इससे व्यवस्थित आंकड़े प्राप्त होंगे। इससे परियोजना के संबंध में लोगों के व्यवहार और विचारों की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। एह सर्वेक्षण प्रत्येक प्रभावित परिवार के पृथक साक्षात्कार, फोकस ग्रुप चर्चाओं और सहभागियों की टिप्पणियों के माध्यम से किया जाएगा।

5.9.7 *कार्य 7 : पणधारियों एवं संवेदनशील समूहों की पहचान*

नमूना सर्वेक्षण के माध्यम भविष्य में (जनगणना सर्वेक्षण के समय) बनने वाले अतिरिक्त पणधारियों (यदि कोई हों तो) की पहचान तथा तीन गांव - प्रीनि, जगत सुख, और एलेऊ में सामाजिक प्रभाव के आकलन के दौरान किए गए ग्राम स्तरीय परामर्श। जनगणना सर्वेक्षण से प्रभावित जनसंख्या के अत्यधिक संवेदनशील समूहों की पहचान करने मे सहायता मिलेगी। ऐसे परिवारों की सूची तैयार की जाएगी जिन पर पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे परिवार जिनकी प्रधान विधवा अथवा अकेली औरतें हैं, 60 वर्ष से

अधिक आयु के लोग, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति एवं गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्ति या वे व्यक्ति जो भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनकी कुल भूमि के 25 प्रतिशत से अधिक के हानि होगी, इस संवेदनशील खंड के अंतर्गत आते हैं।

5.9.8 *कार्य 8 : पणधारियों को सूवना प्रसार एवं परामर्श*

सभी पणधारियों की पहचान कर लेने के पश्चात उनमें से प्रत्येक को प्रोजेक्ट डिजाइन, पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव तथा प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। वितीय संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ सीधे पीआईएस की भागीदारी करी जाएगी। ईआईए सार ऐसे निर्दिष्ट स्थानों पर रखा जाएगा जहां मुख्य अधिकारियों की सहज पहुंच हो। पणधारियों के साथ चर्चा का यह आरंभिक बिंदु होगा जो आरएपी तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन के दौरान एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में जारी रहेगा।

5.9.9 कार्य 9 : हकदारी ढ़ांचे के संदर्भ में पीएएफ को सूचना का प्रसार

परियोजना प्रस्तावक बृहद हकदारी ढ़ांचे को परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ बांटेंगे और उसकी मूल उदारता को सुनिश्चित करेंगे ताकि पीएएफ के साथ सार्थक वार्ता हो सके। पीएएफ को हकदारी ढ़ांचे के विकास के नियमों और नीतियों से भी अवगत करवाया जाएगा।

5.9.10कार्य 10 : हकदारी ढ़ांचे पर पीएएफ के साथ वार्ता

एक उचित क्षतिपूर्ति पैकेज तैयार करने के उद्‌देश्य से परियोजना प्रस्तावक पीएएफ और अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करेंगे। हकदारी ढ़ांचे को अंतिम रूप देने से पूर्व परामर्श किए जाएंगे ताकि लोगों के सुझावों को उसमें शामिल किया जा सके एवं प्रतिपूर्ति नियमों तथा भूमि के मूल्यों के संदर्भ में सामान्य समझौता सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण के तहत पीएएफ के सभी खंडों के साथ व्यापक वार्ताएं की जाएंगी ताकि विभिन्न मामलों पर उनके विचारों की जानकारी प्राप्त हो सके।

महिलाओं के साथ पृथक वार्ता

फोकस ग्रुप में महिलाओं के साथ पृथक और विशिष्ट वार्ताएं की जाएंगी ताकि भूमि और आय की हानि और परवर्ती पुनर्वास के कारण लिंग विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा हो सके। इससे परियोजना प्रस्तावकों को महिलाओं से संबंधित मामलों की पहचान और उन्हें संबोधित करने में आसानी हो जाएगी। संपूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के साथ वार्ताऐं सतत रूप से जारी रहेंगी।

संवेदनशील समूहों से पृथक वार्ता

यह वार्ताएँ भी निरंतर जारी रहेंगी। इन वार्ताओं के माध्यम से संवेदनशील परिवार अपनी आशंकाओं और प्रश्नों को उठा सकते हैं। इससे परियोजना प्रस्तावकों को क्षतिपूर्ति पैकेज को अंतिम रूप देने में सहायता मिलेगी।

वैकल्पिक चरागाह

एक अस्थायी अवधि के लिए चारागाहों की क्षति की समस्या का समाधान ढूढ़ने के लिए ग्रामवासियों के साथ वार्ताएं की जाएंगी। निर्माण कार्य आरंभ होने से पूर्व वैकल्पिक चरागाहों की संभावनाओं का पता लगाना होगा क्योंकि नजदीकी गांव के पशु जो चरागाहों का इस्तेमाल करते हैं, को चराई भूमि के एक निश्चित भाग से आगे जाने में रूकावट आ सकती हैं।

5.9.11 कार्य 11ः भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की सूचना उपलब्ध करवाना

परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक परिवार (जिसे भूमि की हानि हो रही है) को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में लिखित में जानकारी देंगे। इसमें प्रर्तिपूर्ति मूल्य निर्धारण का आधार, प्रत्येक परिवार से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का सही माप जिसमें धरातल पर परिमाप भी चिह्नित हो, क्षतिपूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा संपर्क किए जाने वाले संबंधित अधिकारी के नाम का उल्लेख शामिल हैं।

5.9.12 कार्य 12ः वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता एवं क्रय सहायता के संदर्भ में प्रसार एवं वार्ता

परियोजना प्रस्तावक ऐसे व्यक्तियों के साथ वार्ताएं करेंगे जिन्हें भूमि की हानि हो रही है और आस-पास के क्षेत्रों में उपल्ब्ध भूमि की विभिन्न श्रेणियों और प्रचलित भूमि मूल्यों की जानकारी उन्हें देंगे। पीएएफ की सुविधा के लिए प्रयोजना प्राधिकारी क्रय सहायता के प्रावधानों की सूचना भी उपलब्ध करवाएंगे।

5.9.13 कार्य 13ः वृक्ष अंतरण सहायता

परियोजना प्रायोजक उपलब्ध करवाई जा रही वृक्ष अंतरण सहायता (वाहन और तकनीकी सहयोग के रूप में) के संदर्भ में पीएएफ को सूचित करेंगे। विशेषज्ञों का एक दल प्रक्रिया के संबंध में पीएएफ को परामर्श देगा ताकि बेहतर आजिविका दर सुनिश्चित की जा सके। यह सहायता केवल उस पीएएफ को दी जाएगी जो इसके लिए मांग करेंगे।

5.9.14 कार्य 14ः रोजगार का अवसर एवं आय उत्पत्ति कार्यक्रमों के संदर्भ में वार्ताएं और सूचना का प्रसार

परियोजना प्रस्तावक रोजगार के संभावित अवसरों आय उत्पत्ति योजनाओं जिन्हें लोगों की आर्थिक दशा की पुनः प्रतिष्ठा हेतु कार्यान्वित किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो लोगों की दक्षता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंद्ध सूचना प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध करवाएंगे। संवेदनशील परिवारों को परियोजना द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त सहयोग की सूचना दी जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक पीएएफ के परामर्श से आय की पुनः प्रतिष्ठा और प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए संभावित विकल्पों का पता लगाएंगे। समुदाय के साथ चर्चा द्वारा लोगों की प्रशिक्षण की जरूरतों का विस्तृत आंकलन किया जाएगा और प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार की जाएगी। आय सृजन के प्रयोजन से बुनाई (और अन्य) जैसे पारंपरिक हुनरों के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। छोटे उद्यमों के विकास के लिए प्रबंध एवं बाजार संपर्क से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण में ध्यान दिया जाएगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण के स्थान एवं विस्तृत समय सूची के बारे में समुदाय को सूचना भेजी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता, समस्याओं और अन्य मामलों के संदर्भ में फीडबैक लेने के लिए लोगों से परामर्श किए जाने चाहिए।

5.9.15 कार्य 15ः शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान तंत्र की सूचना एवं वार्ता

प्रभावी और कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के उद्देश्य से एक पाक्षिक चर्चा सूची तैयार की जाएगी। चर्चा सूची में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रश्नों और शिकायतों को अगले चर्चा सत्र में दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबोधित किया जाए। पीएएफ और अन्य पणधारियों को स्थापित किये जाने वाले शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान तंत्र के संदर्भ में विशिष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उपलब्ध करवाई जा रही सूचना में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः

- शिकायत, आपत्तियां एवं विवाद दर्ज करने की प्रक्रिया।
- संस्थागत व्यवस्थाएं तथा परियोजना कार्यालय स्थल जिला स्तर एवं आर.एस.डब्लयू.एम मुख्यालय में शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम और संपर्क ब्यौरे।
- शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान के लिए समय सीमा।

- यदि शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा जाती है तो इस संदर्भ में किए जाने वाले उपाय।

    - परामर्श सत्रों का आयोजन नियमित आधार पर किया जाएगा ताकि तंत्र की कार्यसाधकता और समुदाय को हो रही कठिनाईयों का जायजा लिया जा सके।

5.9.16 कार्य 16: पुनर्वास कार्यवाही योजना (आरएपी) तैयार करना

उपर्युक्त कार्य में उल्लिखित परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पुनर्वास कार्यवाही योजना को तैयार करके अंतिम रूप दिया जाएगा। तत्पश्चात इसे वित्तीय संस्थानों की अनुमति के लिए उनके साथ बांटा जाएगा। आरएपी में हकदारी ढ़ांचा, पात्रता मानदंड, भूमि का मूल्यांकन, वृक्षों का मूल्यांकन, पृथक पीएएफ के लिए विकल्प, आरएपी के कार्यान्वयन के लिए समुदाय के विचार एवं समुदाय विकास के प्रावधानों का उल्लेख होगा।

5.9.17 कार्य 17: समूह स्तर पर समुदाय विकास योजना के प्रसार के लिए वैकल्पिक मीडिया को तैयार करना एवं उसका प्रयोग

पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया, आय सृजन योजनाओं और प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए नुक्कड़ नाटकों के रूप में वैकल्पिक मीडिया का प्रयोग किया जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें विभिन्न विषयों पर पुनर्वास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को फोकस किया जाएगा।

5.9.18 कार्य 18: विशिष्ट लिखित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए पृथक स्तर पर सूक्ष्म-योजना का प्रसार

प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में सूचना देने हेतु परियोजना प्रस्तावक पुस्तिकाओं को तैयार करेंगे। सूचना पुस्तिकाओं में प्रतिपूर्ति राशि का दावा करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया, भुगतान अनुसूची एवं राशि वितरण के तंत्र के बारे में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। संवेदनशील समूहों के लिए इसमें उनके अतिरिक्त प्रावधानों की सूचना भी दी जाएगी।

5.9.19 कार्य 19: सूचना प्रसार एवं प्रतिपूर्ति राशि के उपयोग के संदर्भ में वार्ता

प्रतिपूर्ति राशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक सभी पीएएफ को सूचना देंगे एवं उनके साथ वार्ताएं करेंगे। इससे उनके परिसंपत्ति आधारों में वृद्धि हो सकेगी। विकल्पों पर चर्चा की जाएगी एवं समुदाय के साथ मिलकर राशि के उपयोग के विभिन्न वैकल्पिक माध्यमों की खोज की जाएगी।

5.9.20 कार्य 20ः संयत्र प्रचालन के पर्यावरण से संबंधित पहलुओं को संबोधित करने के लिए परामर्श

संयत्र के चालू होने के पश्चात उनसे निकलने वाले अपशिष्ट सामान के निपटान और परियोजना परिचालन एवं आवासीय कालोनी से उत्पन प्रदूषण से होने वाली पर्यावरण की समस्याओं पर परियोजना प्राधिकारियों को कार्यवाही करनी होगी। समुदायों के साथ परामर्श किए जाएंगे ताकि वे अपनी आशंकाओं और समस्याओं की जानकारी दे सकें। निर्माण चरण के दौरान सेब के वृक्षों पर उसके प्रभाव से संबंधित लोगों की आशंकाओं पर चर्चा की जाएगी। परियोजना के लिए काटे जाने वाले वृक्षों की प्रतिस्थापना के मार्ग ढूंढ़ने के लिए समुदायों की राय ली जाएगी। समस्याओं पर कार्यवाही करने के लिए जिन उपयुक्त न्यूनीकरण योजनाओं को लागू किया जाएगा, उनके संदर्भ में इन सत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी।

5.9.21 कार्य 21ः पदेन मूल्यांकन हेतु परामर्श

पीएएफ एवं अन्य पणधारियों के साथ परामर्श के द्वारा संपूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम का पदेन मूल्यांकन किया जाएगा ताकि उठाए गए पुनर्वास कदमों की पर्याप्तता और कार्यसाधकता के संदर्भ में उनसे फीडबैक लिया जा सके।

7. संसाधन एवं उत्तरदायित्व

परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों एवं जन परामर्श और प्रकरण कार्यक्रम तथा पुनर्वास योजना समुदाय विकास योजना को संबोधित करने के लिए रा०स्वि०वि०मि०लि० संस्थागत संरचना के भीतर परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण और सामाजिक मामलों के लिए समर्पित प्रकोष्ठों की स्थापना करेंगे।

रा०स्वि०वि०मि०लि० कार्मिकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई संस्थागत सहायता के अलावा एक कार्यान्वयन एजेंसी (प्रभावी सामाजिक संगठन/संस्थान अथवा एन जी ओ) की नियुक्ति की जाएगी ताकि आर ए बी का कार्यान्वयन किया जा सके और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श और भागीदारी की जा सके।

7.1 कॉर्पोरेट संगठन संरचना

रा०स्वि०वि०मि०लि० निगम स्तर पर एक पुनर्वास और पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करेगा जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक होंगे। इस प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः

- परियोजना स्थल पर उचित संस्थागत व्यवस्थाओं का गठन ताकि सामाजिक एवं पर्यावरण न्यूनीकरण कार्य योजना के कार्यान्वयन की देखभाल की जा सके।
- एक स्वतंत्र प्रबोधन एवं मूल्यांकन एजेंसी की नियुक्ति करना।
- ऐसे प्रत्येक गांव, जहां सी डी पी आयोजित एवं कार्यान्वित की जाएगी, में ग्राम विकास निधि की स्थापना जिसमें 50 प्रतिशत अंशदान परियोजना द्वारा किया जाएगा।
- आर ए पी गतिविधियों को मानीटर करना।
- ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करना जिन पर परियोजना कार्यालय कार्यवाही न की हो।
- रा०स्वि०वि०मि०लि० एवं आईएफसी की मार्गदर्शी नीतियों के अनुसार आर ए पी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- आर ए पी में शामिल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के साथ निगमित संपर्क स्थापित करना ताकि पी ए एफ के लिए आय सृजन योजनाओं को धन मुहैया करवाया जा सके।

7.2 परियोजना कार्यालय संगठनात्मक ढ़ांचा

परियोजना कार्यालय स्तर पर प्रबंधक (सामाजिक एवं पर्यावरण) का एक पद सृजित किया जाएगा जो आर ए पी, सी डी पी और ई एम पी के बीच सम्बन्ध स्थापित करेगा। वे संपूर्ण परियोजना कार्यालय के स्थानीय प्रभारी, महाप्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होंगे। एक समुदाय संपर्क अधिकारी जो (अधिमानतः समाज विज्ञान पृष्ठभूमि वाला) आर ए पी कार्यान्वयन, एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा, प्रबंधक (सामाजिक एवं पर्यावरण) को रिपोर्ट करेगा। वह दोनों पृथक प्रकोष्ठों के कार्यो में समन्वय स्थापित करेगा और विभिन्न पणधिकारियों, विशेषतः पी ए एफ से नियमित संपर्क रखेगा।

सी एल ओ के अधीन दो समर्पित प्रकोष्ठ होंगेः

- भूमि अधिग्रहण
- पुनर्वास एवं समुदाय विकास

समुदाय संपर्क अधिकारी के साथ-साथ एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और एक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ भी कार्य करेगा। (इस खंड के अंत में संस्थागत व्यवस्था पर फ्लो चार्ट देखें)

पुनर्वास एवं समुदाय विकास प्रकोष्ठ में एक समुदाय विकास अधिकारी (सी डी ओ) और दो सहायक स्टाफ होंगे जो संपूर्ण पृथक एवं समुदाय पुनर्वास और विकास के कार्य को देखेंगे। सी डी ओ के साथ कार्यान्वयन एजेंसी सीधे कार्य करेगी एन जी ओ या संस्थान जो आय पुनः प्रतिष्ठा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। ऐसा अनुमान है कि कार्यान्वयन एन जी ओ की सेवाओं की आवश्यकता 3–5 वर्षों तक होगी जिसके दौरान पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों के न्यूनीकरण प्रस्तावित, जिस संगठन की सेवाएं किराए पर ली जाएगी उसके पास 4 गांवों में नियमित अपस्थिति विशेष कर समुदाय कार्यकर्ता और महिला सदस्यों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संगठन में एक समर्पित वरिष्ठ व्यक्ति भी होगा जो पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण प्रभारी होगा।

कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य दायित्व निम्नलिखित हैंः

- समुदाय के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करना एवं पी सी डी पी द्वारा की गई उपेक्षा के अनुसार जन परामर्श और प्रकरण सत्रों का आयोजन करना।
- ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान हेतु संपर्क के रूप में कार्य करना।
- पुनर्वास प्रक्रिया, प्रतिपूर्ति के भुगतान, प्रशिक्षण और आय सृजन कार्यक्रम में सहयोग।
- सूक्ष्म ग्राम योजनाओं को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में ग्रामवासियों और ग्राम पंचायतों की सहायता करना।
- श्रमिक सहयोगी और स्थानीय रोजगार कार्यालयों के साथ संपर्क स्थापित करना ताकि पी ए एफ के लिए संभावित रोजगार अवसरों की पहचान की जा सके।
- जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर चालू सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- एन जी ओ की चयन उसकी क्षमता और सामर्थ्य के पारदर्शी एवं स्पर्धात्मक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। संविदा में दायित्व और जिम्मेदारी, सूचना प्रस्तुतिकरण पद्धति और वित्तीय प्रबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

7.3 बजट

प्रस्तावित जन परामर्श और प्रकटन कार्यक्रम (पी सी डी पी) के दो भिन्न लागत घटक हैंः

- विभिन्न रूपों में सूचना सृजन की लागत
- प्रभावी परामर्श प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मानव एवं संस्थागत संसाधनों की लागत

हालांकि जन परामर्श सहयोग के लिए अपेक्षित अधिकांश सूचना परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सृजित की जाएगी, परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की प्रक्रिया सामान्यतः उस रूप में उपलब्ध नही होती जो सभी पणधारियों को स्वीकार्य हो। अतः इस पी सी डी पी का प्रस्ताव है कि हिंदी में पुस्तिकाओं, हिंदी में वीडियो, विशेष रूप से समर्पित स्ट्रीट थिएटर प्रोडक्शन और जन घोषणाओं के रूप में सूचना सृजित की जाए। यह उन विभिन्न रिपोर्टों (उदाहरणार्थ ई आई ए), के अतिरिक्त होगी जिसे ऐसे पणधारियों के साथ शेयर किया जाएगा जो एक भाषा के रूप में अंग्रजी में रिपोर्ट पढ़ने में सहजता का अनुभव करते हैं।

इसी प्रकार, रा०स्ि०वि०मि० के भीतर पर्यावरण और सामाजिक न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार कार्मिक, सूचना के प्रभावीकरण, परामर्श प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिकायतों के साथ त्वरित निवारण के लिए उत्तरदायी होंगे। उनके पास प्रभावित समुदायों के साथ सहयोग, मंत्रणा और नियमित आधार पर निरंतर परामर्श जैसी दक्षताएं होना आवश्यक नहीं है। अतः पी सी डी पी ने सुझाव दिया है कि सहयोगी एजेंसी (एन जी ओ अथवा अन्य कोई सामाजिक संगठन) रा०स्ि०वि०मि० कार्मिकों के प्रयासों का सम्मान करें और संप्रेषण का स्वतंत्र चैनल उपलब्ध करवाएं। अतः सभी प्रकार की अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है किंतु इसमें मूल सूचना और रा०स्ि०वि०मि० कार्मिकों की लागत को छोड़ दिया गया है जिनका वहन पी सी डी पी के अभाव में भी परियोजना द्वारा किया जाएगा।

<u>बजट (3 वर्ष)</u>

क. *सूचना सृजन की लागत*

सूचना पुस्तिकाएं	60,000 रु.
परियोजना के ब्यौरे एवं सामाजिक तथा पर्यावरण मामलों पर वीडियो (2)	800,000 रु.
शिकायत निवारण पर रिपोर्ट (36)	36,000 रु.
जन घोषणाएं	30,000 रु.
पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों पर नुक्कड़ नाटक तैयार करना और उनका मंचन	2,00,000 रु.
योग क	**11,26,000 रु.**

ख. *सहयोग एजेंसी की लागत*

कार्मिकों पर लागत	21,24,000 रु.

व्यय	5,00,000 रु.
योग ख	**26,24,000 रु.**
कुल योग	***37,50,000 रु.***

8. शिकायत निवारण तंत्र

आरएपी प्रस्तावों में एक तंत्र शामिल है ताकि लाभग्राहियों को उनकी हकदारियों का अंतरण सुनिश्चित किया जा सके एवं सूचना का उचित प्रकटन तथा प्रभावित परिवारों से चर्चाएं की जा सकें। तथापि, एक ऐसे प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है जो लोगो के प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर दे सके तथा मुख्य विषयों, आशंकाओं और शिकायतों का निवारण कर सके।

परियोजना/फील्ड कार्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसमें प्रबंधक (सामाजिक एवं पर्यावरण), सीएलओ, भूमि अधिग्रहण प्रकोष्ठ का एक सदस्य, कार्यान्वित

एजेंसी का सदस्य और कम से कम दो जिला सरकार के प्रतिनिधि (यदि संभव हो तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अथवा एडीएम और स्थानीय पटवारी) सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकोष्ठ में पीएएफ का प्रतिनिधित्व भी होगा जबकि जिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है लेकिन उनके रहने से भूमि अधिग्रहण और विधिक दावों से संबंधित शिकायतों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा सकेगी।

स्वामित्व संबंधी दावों, परिसंपत्तियों के उत्तराधिकार, वारिसों के बीच प्रतिपूर्ति राशि के वितरण, लुप्त प्रभावित परिसंपत्तियां एवं जनगणना में लोगों आदि से संबंधित आशंकाओं पर जीआरसी कार्यवाही करेगी। इस प्रक्रिया में विद्यमान कानूनी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा अपितु आपसी सहमति के आधार पर मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि खर्चीली एवं अत्यधिक समय लगाने वाली कानूनी प्रक्रिया से बचते हुए प्रतिपूर्ति की शीघ्र प्राप्ति हो।

कार्यान्वयन के पहले 3 माह के दौरान जीआरसी की कम से कम एक बैठक प्रत्येक पखवाड़े में आयोजित की जानी चाहिए और तत्पश्चात प्रत्येक माह में एक बार बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिन मामलों को जीआरसी में सुलझाया नहीं जा सकेगा उन्हें समाधान हेतु निगम कार्यालय में जिम्मेदार महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। पीसीडीपी पीएएफ को जीआरसी की संरचना और प्रक्रिया के बारे में सूचित करेगी तथा पीएएफ को प्रोत्साहित करेगी कि वे अपनी समस्याएं एवं सुझाव लेकर इस प्रकोष्ठ में जाएं।

९. रिपोर्ट देना

परियोजना कार्यान्वयन के संपूर्ण चरणों के दौरान परियोजना प्रस्तावकों द्वारा छत्तीस मासिक रिपोर्टें तैयार की जाएंगी जिनमें आयोजित परामर्श सत्रों की संख्या, विभिन्न पणधारियों को दी गई सूचना के प्रकार, जिन व्यक्तियों के साथ चर्चा की गई, परामर्श सत्रों की पद्धति और स्थान तथा शिकायत निवारण और विवाद निपटान तंत्र से संबंधित ब्यौरे दिए जाने चाहिए। इन रिपोर्टों के बारे में सभी पणधारियों को सूचना दी जानी चाहिए।

परियोजना प्रस्तावक सूचना प्रकटन और परामर्श कार्यक्रम की प्रगति के बारे में प्रत्येक तिमाही में वित्तीय संस्थानों को अवगत करवाएंगे। इन रिपोर्टों में आयोजित परामर्शों की संख्या, प्रसारित सूचना का प्रकार, जिन पणधारियों से चर्चा की गई, परामर्श का स्थान और पद्धति और शिकायत निवारण तथा विवाद निपटान तंत्र से संबंधित ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन के अंत में एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें संपूर्ण आरएपी का पदेन मूल्यांकन एवं सूचना प्रकटन तथा परामर्श कार्यक्रम की कार्यसाधकता के बारे में जानकारी दी गई हो।